राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 29.11.2020

आदेश

कोविड–19 वैश्विक महामारी (Pandemic) से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में Containment Zone, भीड़भाड़ वाले ईलाकों व दूरदराज के क्षेत्रों में आमजन को ओ0पी0डी0, आवश्यक निःशुल्क जांच व निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मोबाईल मेडिकल वैन व मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से उक्त चिकित्सा सेवाऐं (ओ0पी0डी0, निःशुल्क जांच व निःशुल्क दवा) उनके डोर स्टेप पर उपलब्ध कराई जा रही है।

गत कुछ समय में कोविड–19 संक्रमित मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि, आगामी समय में सर्दी के मौसम, त्यौहारी सीजन एवं शादी समारोह के कारण कोविड–19 संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने के दृष्टिगत सभी जिला कलक्टरों से यह अपेक्षित है कि वे अपने जिले में उपलब्ध मोबाईल मेडिकल वैन व मोबाईल मेडिकल यूनिटों का अधिकतम विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए मोबाईल मेडिकल वैन व मोबाईल मेडिकल यूनिटों का कैम्प ऐसे स्थानों पर आयोजित करावे, जहां कोविड–19 संक्रमण की दर अधिक है। इन कैम्पों में आमजन को निःशुल्क ओ0पी0डी0 सुविधा एवं ILI/SARI मरिजों की कोविड–19 जांच हेतु सैम्पलिंग व अन्य आवश्यक जांचे/दवाईयां मौके पर ही उपलब्ध करवाई जावे एवं ILI/SARI मरीजों का Follow up भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करावे।

29/11

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय,
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7 मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
8 समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
9 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10 समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
11 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन राजस्थान।
12 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14 जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
15 निजी/रक्षित/कम्प्यूटर सैल।
16 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबवाईट पर अपलोड करे।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव